भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1434

11 फरवरी, 2020

"चीनी क्षेत्रक को नियंत्रणमुक्त करना"

1434. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): वर्तमान में देश में संचालित चीनी मिलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख): क्या यह सच है कि देश का चीनी उद्योग हाल के दिनों में विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग): क्या चीनी उद्योग को नियंत्रण से पूर्णरूप से मुक्त करने के संबंध में सरकार को चीनी मिलों की ओर से कोई अनुरोध/मांग प्राप्त हुई है;

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ड.): चीनी क्षेत्र को नियंत्रण से मुक्त करने के बाद उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च): सरकार राशन की दुकानों के लिए किस दर पर चीनी खरीदती है और नियंत्रण से मुक्त करने के बाद इसकी संभावित दर क्या होगी?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): देश में वर्तमान में प्रचालनरत चीनी मिलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख): चीनी मौसम 2017-18 के दौरान चीनी के अत्यधिक उत्पादन से बाजार के रुझान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था जिसके कारण घरेलू बाजार में चीनी की एक्स-मिल कीमतें बहुत तेजी से गिरकर मई, 2018 में 24.50 रुपए प्रति किलोग्राम से 26 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच रहीं जिससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और परिणामतः किसानों की गन्ना मूल्य बकाया राशि में बढ़ोतरी हुई। अधिशेष चीनी के स्टॉक के कारण चीनी की बिक्री से हुई कम वसूली से चीनी मौसम 2018-19 के दौरान भी चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, पिछले भारी स्टॉक और वर्तमान चीनी मौसम 2019-20 में अनुमानित खपत से अधिक अनुमानित अधिशेष उत्पादन भी चीनी मिलों की नकदी की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि वे किसानों के गन्ना मूल्य बकायों का भुगतान करने में समर्थ हों, के उद्देश्य से सरकार ने पिछले दो चीनी मौसमों और वर्तमान चीनी मौसम में निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

चीनी मौसम 2017-18

(i) दिनांक 07.06.2018 से चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) 29 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया जिसे दिनांक 14.02.2019 से बढ़ाकर 31 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया।

(ii) लगभग 430 करोड़ रुपए की गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मौसम 2017-18 के दौरान चीनी मिलों को पेराई किए गए गन्ने के लिए 5.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(iii) चीनी मौसम 2017-18 में चीनी के 30 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया गया, जिसके लिए सरकार 780 करोड़ रुपए की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है;

चीनी मौसम 2018-19

i) गन्ने की लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी मिलों को पेराई किए गए गन्ने के लिए 13.88 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

ii) चीनी मौसम 2018-19 के दौरान देश में चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए आंतरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग एवं अन्य प्रभारों से संबंधित व्यय का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को लगभग 700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

iii) बैंकों के माध्यम से चीनी मिलों को 7402 करोड़ रुपए की राशि के सरल ऋण प्रदान किए गए, जिसके लिए सरकार एक वर्ष के लिए 7% की दर से लगभग 518 करोड़ रुपए की ब्याज छूट का वहन करेगी।

(i) 01 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक का निर्माण किया गया है जिसके लिए सरकार बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु 1674 करोड़ रुपए की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है।

(ii) चीनी मौसम 2019-2020 के दौरान 60 लाख टन चीनी के निर्यात संबंधी व्यय के लिए चीनी मिलों को 10448 रुपए प्रति टन की दर से सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके लिए 6288 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि चीनी के निर्यात को सुगम बनाया जा सके।

(iii) सरकार ने वर्तमान इथनॉल आपूर्ति वर्ष 2019-20 (दिसंबर, 2019 - नवंबर, 2020) में चीनी एवं चीनी सिरप से इथनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है और सी-हेवी शीरे तथा बी-हेवी शीरे से तैयार किए गए इथनॉल और गन्ने के रस/चीनी/चीनी-सिरप से तैयार किए गए इथनॉल की लाभकारी एक्स-मिल कीमतें क्रमश: 43.75 रुपए/लीटर तथा 54.27 रुपए/लीटर और 59.48 रुपए/लीटर की दर से निर्धारित की है।

(ग) से (च): चीनी उद्योग को नियंत्रण से पूर्णरूप से मुक्त करने के संबंध में सरकार को चीनी मिलों की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने पहले ही चीनी मौसम 2012-13 से चीनी मिलों पर लेवी बाध्यता हटाकर अप्रैल, 2013 से चीनी क्षेत्र को आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया है। चीनी क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त करने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत चीनी के वितरण के लिए नई व्यवस्था 01.06.2013 से लाई गई थी जिसमें राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से खुले बाज़ार से चीनी खरीदनी होती है। केंद्र सरकार 13.5 रुपए प्रति कि.ग्रा. के खुदरा निर्गम मूल्य पर चीनी उपलब्ध करवाने के लिए लक्षित आबादी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की आबादी और उत्तर पूर्वी राज्यों/ पहाड़ी राज्यों और द्वीप समूह क्षेत्रों की समस्त आबादी को कवर किया गया है, को पीडीएस के अंतर्गत चीनी का वितरण करने के लिए प्रतिभागी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति कि.ग्रा. 18.50 रुपए की दर से निर्धारित चीनी सब्सिडी की प्रतिपूर्ति कर रही है।

अब, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) को देश में सभी जगह कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएफएसए के अन्तर्गत बीपीएल की कोई चिह्नित श्रेणी नहीं है। लेकिन अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है। हालांकि, भारत सरकार ने चीनी की सब्सिडी स्कीम की समीक्षा की है और इसे जून, 2017 से एएवाई परिवारों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार प्रतिभागी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक एएवाई परिवार के लिए 18.5 रु. प्रति कि.ग्रा. प्रति माह की दर से निर्धारित सब्सिडी की प्रतिपूर्ति कर रही है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.02.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1434 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

वर्तमान चीनी मौसम 2019-20 के दौरान प्रचालनरत चीनी मिलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	चीनी मौसम 2019-20 के दौरान प्रचालनरत चीनी मिलें
1	आंध्र प्रदेश	12
2	बिहार	11
3	गुजरात	15
4	हरियाणा	14
5	कर्नाटक	62
6	महाराष्ट्र	140
7	पंजाब	16
8	तमिलनाडु	21
9	तेलंगाना	6
10	उत्तर प्रदेश	119
11	उत्तराखंड	7
12	मध्य प्रदेश	16
13	छत्तीसगढ़	4
समग्र भारत		443

****